



2026:AHC:68263

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या- 975 वर्ष

2026

आलोक सिंह @ आशु सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सिद्धार्थ राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, राकेश कुमार यादव

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. श्री शांभवी नंदन, अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ राय, आवेदक के अधिवक्ता, श्री राकेश कुमार यादव, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और श्री जी.पी. सिंह, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-245 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., थाना-भीमपुरा, जिला बलिया की धारा 109, 115(2), 352, 351(3) के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है, हालांकि, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है, हालांकि, उसे किसी भी चोट पहुंचाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। घायल को तीन चोटें आई हैं, जिनमें से कोई भी प्रकृति में गंभीर या जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. श्री यादव ने उक्त प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए तर्क दिया है कि घायलों के सिर में चोट लगी है जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह स्पष्ट रूप से घायल को मारने की कोशिश करने में आवेदक और अन्य अभियुक्तों के इरादे को दर्शाता है।
5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी ज़मानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक की किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि को इंगित करने में सक्षम नहीं है।
6. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सह-आरोपी की नियमित ज़मानत को सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।
7. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।
8. हालांकि, प्राथमिकी में नामित आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। कहा जाता है कि घायल को तीन चोटें आई हैं, जिनमें से एक चोट पार्श्विका क्षेत्र पर सिर पर लगी है। उक्त चोट आवेदक को निर्दिष्ट नहीं की गई है। दूसरी चोट जो नोट की गई है वह माथे के दाईं ओर सूजन है, जिसे किसी भी रेडियोलॉजिकल राय के लिए संदर्भित नहीं किया गया था।
9. रेडियोलॉजिस्ट की राय में, पार्श्विका क्षेत्र पर पाई गई चोट, जो 4x1 सेमी मापने वाला एक घाव था, में कोई फ्रैक्चर या असामान्यता नहीं थी।
10. जांच के दौरान दर्ज डॉ. रामध्यान के बयान से यह भी पता चलता है कि कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं पाई गई थी।
11. सिर की सीटी-स्कैन रिपोर्ट में भी कोई फ्रैक्चर नहीं दिखाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
12. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय में, अग्रिम ज़मानत देने के लिए एक मामला बनाया जाता है।
13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के अग्रिम ज़मानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।



14. आवेदकों- आलोक सिंह @ आशु सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपरोक्त मामले के अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले के गुण-दोष पर एक राय नहीं मानी जानी चाहिए।

मार्च 30, 2026

एस.ए.

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)